रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1972/माघ 12, 1893
No. 63] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1972/MAGHA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

1.4.72

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February, 1972

S.O. 80(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Khan Mohammed Asgar Husain Sardarkhan, a member elected to that House from 18-Akola Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 17th March, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/MT/HP/1/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली—1 फरवरी, 1972

एस० आ० 80(अ).—यतः महाराष्ट्र राज्य में के 18-अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री खान मोहम्मद असगर हुसैन सरदार खान की मृत्यु हो जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अत, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 17 मार्च 1972 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित करदें ।

[सं० 100/महा० स०/लो० स०/1/72 (1)]

S.O. 81(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 18-Akora Parliamentary Constituency in the state of Maharashtra in pursuance of its notification No. 100/MT/HP/1/72(1), dated the 1st February,, 1972,—

(a) the 8th February, 1972 (Tuesday), as the last date for making nominations;

(b) the 9th February, 1972 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 11th February, 1972 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 17th March, 1972 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(e) with respect to the area comprised in each of the assembly constituencies mentioned below comprising the said parliamentary constituency, the date specified against each as the date on which a poll shall, if necessary be taken:—

Serial No. and Name of Assembly Constituency	Date of poll.
101. Akot. ..	7th March, 1972 (Tuesday).
102. Borgaon-Manju. ..	7th March, 1972 (Tuesday).
103. Akola.	7th March, 1972 (Tuesday).
104. Balapur. .	7th March, 1972 (Tuesday).
107. Mangrulpir. ..	9th March, 1972 (Thursday)
108. Murtazapur ..	9th March, 1972 (Thursday).

[No. 100/MT/HP/1/72(2)]

एस० ओ० 81(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/महा० रा० लो० सं० 1/72 (1), तारीख 1 फरवरी, 1972 के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य में के 18—अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप निर्वाचन के बारे में —

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	8 फरवरी, 1972 (मंगलवार)
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	9 फरवरी, 1972 (बुधवार)
(ग)	अभ्यर्थिताए वापस लेने की अन्तिम तारीख	11 फरवरी, 1972 (शुक्रवार)
(घ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायगा	17 मार्च, 1972 (शुक्रवार) और

(ङ) उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट नीचे दिए गए प्रत्येक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में समाविष्ट [illegible] के सम्बन्ध में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट

तारीख को ऐसी तारीख के रूप में जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा —

क्रमांक तथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान की तारीख
101 अकोट	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
102 बारगाव मन्ज	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
103 अकोला	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
104 बालापुर	7 मार्च, 1972 (मंगलवार)
107 मंगरूलपीर	9 मार्च, 1972 (बृहस्पतिवार)
108 मूर्तिजापुर	9 मार्च, 1972 (बृहस्पतिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/महा० रा० लो० स०/1/72 (2)]

S.O. 82(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 a.m. to 5.30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 18-Akola Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/MT/HP/1/72(1), dated the 1st February, 1972.

[No. 100/MT/HP/1/72(3)]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

ए० ओ० 82(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100 महा० रा० लो० सं०/1/72(1), तारीख 1 फरवरी, 1972 के अनुसरण में, लोक सभा के लिए 18—अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए, 7-30 बजे पूर्वान्ह से 5—30 बजे अपरान्ह तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/महा० रा० लो० स०/1/72 (3)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1972